10/8/21

पक्षकार उप०

वकील वादी ने प्रार्थना पत्र O 23 R 01 CPC का पेश किया। नकल वकील प्रतिवादी दिलाई गई। पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र 07 R 11 व O 23 R 01 CPC के जवाब व बहस हेतु दिनांक 25/8/21 को पेश हो।

[signature]

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

25/8/21 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान P.O. सा. अवकाश, अन्य कार्य। दौरे पर पधारे हैं, मिसल दिनांक 26/8/21 को पेश हो।

26/8/21

पक्षकार उप०

प्रतिवादी सं० 01 ता 06, 08 ता 14, 21 बावजूद तामिल के गत पेशी व आज भी अनुपस्थित। बार-बार आवाजे लगाई गई। बावजूद आवाजों के अनुपस्थित। अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली में दिनांक 02/7/2021 को प्रतिवादी सं० 07 व 15 की तरफ से प्रार्थनापत्र 07 R 11 CPC का पेश हो रखा है तथा दिनांक 10/8/21 को प्रार्थना पत्र O 23 R 01 CPC का पेश हो रखा है। चूंकि प्रार्थना पत्र 07 R 11 CPC का दिनांक 2/7/21 को पेश हो चुका है तथा प्रार्थना पत्र O 23 R 01 CPC का दिनांक 10/8/21 को पेश हुआ है। अतः पहले प्रार्थना पत्र 07 R 11 CPC का निस्तारण होने के बाद प्रार्थना पत्र O 23 R 01 CPC पर विचार किया जावेगा।

वकील प्रतिवादी ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र 07 [illegible] जवाब दिये जा चुके हैं अतः [illegible] पत्रावली का अवलोकन [illegible] व सात्विक आधार किया जा [illegible] है। जवाब दावा पेश नहीं की है अतः जवाब दावा बन्द की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:31:26 IST
Reason: SelfAttested

[signature]

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/8/21	जारी है। बहस अ० सुनी गई।	

वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि खेत खसरा नं० 3019 रकबा 39 बीघा 09 बिस्वा में से दिनांक 18/07/1969 को रकबा 39 बीघा 04 बिस्वा राशि जरिये इकरारनामा खरीद करने का कथन करते हुए वादीगण ने हस्तगत वाद पेश किया है। वादीगण के वाद का मुख्य आधार तथाकथित इकरारनामा दिनांक 18/07/1969 का है जो कि एक अन रजिस्टर्ड दस्तावेज है। इकरारनामा के आधार पर किसी भी सूरत में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष न्यायालय बीमार द्वारा नहीं किया जा सकता। इकरारनामा की विनिर्दिष्ट अनुपालना हेतु केवल सिविल न्यायालय को ही अधिकार प्राप्त है। वादीगण का वाद आधार का दस्तावेज इकरारनामा दिनांक 18/07/1969 पूर्णरूप से फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज है। उक्त दस्तावेज मयाद बाहर है जिसका कोई विधिक महत्व नहीं रहा। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद इकरारनामा बेचान के आधार पर खातेदारी की घोषणा होने व उक्त प्रकार का वाद न्यायालय बीमार के समक्ष विधि द्वारा वर्जित होने से वाद मय खर्चा खारिज फरमाने की कृपा करावें।

वकील वादीगण ने आज दिनांक को प्रार्थना पत्र धारा 151 CPC का पेश किया। इसके बाद प्रार्थना पत्र 07 R11 CPC का निर्णय किया जाता है।

अतः प्रार्थना [illegible] बहस के तर्कों पर [illegible] का

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:31:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

26/8/21

अवलोकन किया। वादीगण द्वारा उक्त वाद इकरारनामा दिनांक 18/07/1969 के आधार पर पेश किया है। इकरारनामा के आधार पर खातेदारी अधिकार देना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र 07 R11 CPC का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र 07 R11 CPC स्वीकार होने से वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। जब वादीगण का वाद ही खारिज हो चुका है तब दिनांक 10/8/21 को पेश प्रार्थना पत्र 023 R01 CPC व दिनांक 26/8/21 को पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 CPC का कोई औचित्य नहीं होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:31:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner